

फार्म

अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2013

68

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष - 2013

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम :- श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव

(4) वर्तमान वेतन :- 50407.00

(2) वर्तमान धारित पद :- कार्या.सहा.श्रेणी-2

(5) भविष्यनिधि क्रमांक :- 22007207

(3) कार्यालय का नाम :- कार्यपालन यंत्री (अउदा-सं.) सतना

(6) कर्मचारी संख्या :- 91530393

उस जिले उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1) ग्राम-शेरगंज, तह. रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)	1) रिहायशी आवास 3569 वर्ग फिट लगभग	-	1) 11लाख रुपये लगभग	1) स्वयं के नाम पर	1) स्व. श्री रामलखन निगम मुकाम-शेरगंज पो. महदेवा तह. रघुराज नगर जिला सतना से वसीयत मे प्राप्त	-	-
2) ग्राम-बधेडी, तह. रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)	-	2) कृषि भूमि 2.73 एकड लगभग	2) 16लाख रुपये लगभग	2) स्वयं के नाम पर	2) स्व. श्री रामलखन निगम मुकाम-शेरगंज पो. महदेवा तह. रघुराज नगर जिला सतना से वसीयत मे प्राप्त	लगभग 25 हजार रुपये	
3) ग्राम-मझवोंगवा,, तह. रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)	-	3) कृषी भूमि 2.50 एकड	3) 26लाख रुपये लगभग	3) श्रीमती कुशुम श्रीवास्तव (पत्नी) के नाम पर	3) श्रीमती फूलमती पति स्व. श्री रामलखन निगम मुकाम-शेरगंज पो. महदेवा तह. रघुराज नगर जिला सतना से वसीयत मे प्राप्त	लगभग 15 हजार रुपये	

हस्ताक्षर - अखिलेश कुमार श्रीवास्तव 27/12/13

नाम - अखिलेश कुमार श्रीवास्तव

पद - अति. कार्या.सहा.श्रेणी-1

जहाँ लागू न हो काट दीजिए

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इससे अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मण्डल द्वारा वाह्य म.प्र. शासकीय सैंवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।